न्यायालय सिविल जज (जू0डि0)/न्यायिक मजिस्ट्रेट बिधूना, औरैया।

जमानत प्रार्थना पत्र सं0– /2026

CNR No.UPAU1200

उ0प्र0 राज्य बनाम श्रीमती सुशीला देवी आदि।

मुकदमा सं0–80/2026
मु0अ0सं0–408/2025
धारा–115(2),352,351(2) बी0एन0एस0
थाना–बिधूना, जिला औरैया।

दिनांक–06.06.2026

1. अभियुक्तगण **श्रीमती सुशीला देवी एवं राजेन्द्र सिंह** की ओर से मु0अ0सं0–408/2025, धारा–115(2),352,351(2) बी0एन0एस0, थाना बिधूना, जिला औरैया के मामले में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। अभियुक्तगण आत्मसमर्पण कर न्यायालय के समक्ष उपस्थित हैं। प्रस्तुत प्रकरण में आरोप पत्र प्रेषित किया जा चुका है तथा न्यायालय द्वारा प्रकरण का संज्ञान भी लिया जा चुका है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को हाजिरी के पश्चात न्यायालय के द्वारा सूचित किया गया कि प्रथमतया प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थितियों में निजी बंधपत्र एवं अण्डरटेकिंग प्रस्तुत करने के वह अधिकारी हैं।

2. प्रार्थीगण/अभियुक्तगण ने कथन किया है कि प्रार्थीगण निर्दोष हैं। प्रार्थीगण को झूठा फंसाया गया है। प्रार्थीगण ने किसी के साथ कोई अपराध कारित नहीं किया है। प्रार्थीगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। प्रार्थीगण जमानत का दुरूपयोग नहीं करेंगे। प्रार्थीगण विचारण में पूर्ण सहयोग करेंगे। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थीगण को जमानत पर रिहा करने की कृपा करें।

3. विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी की आख्यानुसार अभियुक्तगण द्वारा कारित अपराध गैर–जमानतीय है। जमानत का विरोध किया जाता है। सुना तथा पत्रावली का सम्यक् अवलोकन किया।

4. पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि प्रस्तुत प्रकरण मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है। अभियुक्तगण न्यायालय के समक्ष उपस्थित हैं। अभियुक्तगण की तस्दीक उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गयी है। प्रस्तुत मामले में आरोप पत्र प्रेषित किया जा चुका है। अभियुक्तगण द्वारा कारित अपराध 07 वर्ष तक के दण्ड से दण्डनीय है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को दौरान विवेचना कभी गिरफ्तार नहीं किया गया है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण द्वारा विचारण में सहयोग करने के लिए शपथ पत्र दाखिल किया गया है। अतः मामले के तथ्य, परिस्थितियों एवं जमानत प्रार्थना पत्र में उल्लिखित तथ्यों को देखते हुए, बिना गुण दोष पर टीका–टिप्पणी किये एवं **Satender Kumar Antil Vs Central Bureau of Investigation 2022 (10) SCC 51** में प्रतिपादित सिद्धान्तों के अनुरूप अभियुक्तगण को जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण जामिंदार दाखिल करने हेतु भी तैयार हैं, अतः इस स्तर पर उन्हें जामिंदार दाखिल करने की अनुमति दी जाती है।

5. अतः अभियुक्तगण द्वारा 10,000/–रूपये की एक–एक जमानत एवं समान धनराशि का एक–एक व्यक्तिगत बंधपत्र प्रस्तुत करने पर इस शर्त के साथ जमानत पर दौरान विचारण रिहा किया जाता है कि वह प्रत्येक नियत तिथि पर न्यायालय के समक्ष स्वयं एवं जरिये अधिवक्ता उपस्थित

Digitally signed by KUSHAGRA MISHRA
Date: 2026.06.06 14:31:11 IST
Reason: Order
Location: CJJD/JM Outlying Court, Bidhuna

रहेंगे तथा विचारण में सहयोग करेंगे तथा गवाहों को डरायेंगे व धमकायेंगे नहीं। विवेचक को आदेशित किया जाता है कि वह अभियुक्तगण को आरोप पत्र तथा संलग्न प्रपत्रों की प्रतियां निशुल्क प्रदान करें।

(कुशाग्र मिश्र)
सिविल जज (जू0डि0)/जे0एम0,
बिधूना, औरैया।
JO Code :UP4693